

२७/१०/१६

यह जमानत प्रार्थना पत्र वाद सं० १८७०/०६ धारा ३२३,५०४ भा०द०स० थाना कम्पिल मे आवेदक ग्रीश द्वारा दाखिल किया गया हैं।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त वारंट के निष्पादन मे न्यायिक अभिरक्षा मे हैं। अभियुक्त इससे पूर्व जमानत पर था।

मामले के तथ्य व परिस्थितियो जमानत आधार पर्याप्त हैं। अतः अभियुक्त द्वारा मु० २००००/-रूपये की दो जमानते व इसी धनराशि का बन्ध पत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता हैं।

जे०एम० कायमगंज